न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 28/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 8.3.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मदनलाल पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चांदनियाखेडी उप तहसील सारोला कंला जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1.राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सारोला कंला जिला झालावाड राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अरूण कुमार जेन अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 9.5..2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 55/अपील/2021 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान मदनलाल बनाम राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सारोला कंला मे पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सारोला कंला द्वारा दिनांक 22.12.2020 को निर्णय पारित कर ग्राम चांदियाखेडी की आराजी खसरा नं0 185 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 196/–रूपये शास्ति एंव 30 दिन के साधारण सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 26.11.2021 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट के चिरूद्ध किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी काश्तकारों के बयान लेखबद्ध नही करके अपने अधिकारों से परे जाकर निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार सारोला कंला ने अपना निर्णय 22.11.20 को टाईप शुदा पेपर पर बिना ज्युडिशियल मांइड एप्लाई किए हुये पारित किया है जो कानून की निगाह मे स्पीकिंग आर्डर नही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे पेनाल्टी की रसीद एंव कब्जा छोडने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना अपने अधिकारों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। परीक्षण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। प्रकरण मे किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी काश्तकारों के बयान लेखबद्ध नही है अतः साक्ष्य के अभाव मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी

अति. सं. आयुक्त
कोटा

होना प्रमाणित नही होता है। नायब तहसीलदार सारोलाकंला ने अधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार का निर्णय 22.11.20 टाईप शुदा पेपर पर बिना ज्युडिशियल मांइड एप्लाई किए हुये पारित किया है जो कानून की निगाह मे स्पीकिंग आर्डर नही है। बहस मे आगे यह भी बताया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे पेनाल्टी की रसीद एंव कब्जा छोडने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना अपने अधिकारों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2019 पेज 480 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरडी 2019 पेज 480 पर गौर किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार सारोलाकंला ने निर्णय दिनांक 22.12.2020 को ग्राम चांदनियाखेडी की आराजी खसरा नं0 185 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्मी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 196/–रूपये शास्ति एंव 30 योम के साधारण सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जिसे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड ने निर्णय दिनांक 26.11.2021 को खारिज किया गया।

6 अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि प्रकरण मे किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी काश्तकारों के बयान लेखबद्ध नही है। अतः साक्ष्य के अभाव मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्मी होने की पुष्टि नही होती है। नायब तहसीलदार सारोलाकता का निर्णय 22.11.20 टाईप शुदा पेपर पर बिना ज्युडिशियल मांइड एप्लाई किए पारित किया है जो स्पीकिंग आर्डर नही है। अपीलांट ने पेनाल्टी की रसीद एंव कब्जा छोडने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना दिनांक 26.11.21 को निर्णय पारित कर अपील खारिज क़रने मे त्रुटि की है। अपीलांट्स के उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी चरागाह भूमि है तथा चारागाह भूमि पशुओं की चराई के काम आती है चारागाह भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। चरागाह भूमि का आवंटन/नियमन नही किया जा सकता ऐसी स्थिति मे चारागाह भूमि पर किसी प्रकार से किसी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर पूर्व मे अपीलांट द्वारा अतिचार किया जाना पूर्व निर्णय एंव पटवारी हल्का के बयानो से प्रमाणित होता है तथा इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि अपीलांट ने विवादित चारागाह भूमि पर अतिक्मण कर फसल काश्त की है। जहां तक कब्जा छोडने के संबध मे शपथ पत्र अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का अपीलांट का तर्क है अपीलांट द्वारा कब्जा छोडने के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत अथवा आधार अभिलेख अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय के समक्ष अथवा हस्तगत अपील प्रकरण मे प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 2019 पेज 480 चस्पा नही होते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा